न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारीः— महेश गगोरिया , उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

प्रकरण संख्या—40 / 2025 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.ले.रे.एक्ट

श्री शिवराज पुत्र तुलसीराम धाकड़, जाति धाकड़, उम्र बालिग, निवासी ग्राम एकलिंगपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

......प्रार्थी

विरूद्व

जरिये भूमिधारी श्रीमान् तहसीलदार रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

...........विपक्षी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू—राजस्व अधिनियम

प्रार्थीगण की ओर से उपरिथत :— श्री प्रदीप बिल्लू

अप्रार्थी की ओर से :— पेरोकार सरकार

दिनांकः— 14.05.2025

—:आदेशः—

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया हैं कि ग्राम मौजा खातीखेड़ा प0ह0 खातीखेड़ा, तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076—79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 338 खसरा संख्या 513 मी कुल किता 01, कुल रकबा 2.4000 है0, कुल लगानी 12.0000पै0, खाता संख्या 488 खसरा संख्या 511 कुल किता 01, कुल रकबा 0.1100 है0, खाता संख्या 571 खसरा संख्या 496,503,504 कुल किता 03, कुल रकबा 0.6300 है0, भूमि प्रार्थी के नाम 1/7,1/7, 1/7 हिस्सा खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थी के सहखातेदारी एवं सहकब्जेकाश्त की हैं जिसकी पत्थरगढी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना—पत्र द्वारा निवेदन किया कि खसरा संख्या 513,511, 496,503,504 के पड़ौसी खातेदार व प्रार्थी के बीच कृषि आराजीयात पर फसल बुवाई और फसल कटाई को लेकर व पास मेब के बाडे में फसल को रखने को लेकर व आये दिन मेड, घास फुस को काटने व सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थी ने निवेदन किया हैं कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प्रार्थी की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रैस प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थी को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया— प्रार्थी उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार निहित है।

पत्रावली पर अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली में उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—128 रा.ले.रे. एक्ट को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मौजा खातीखेड़ा प0ह0 खातीखेड़ा, तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076—79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 338 खसरा संख्या 513 मी कुल किता 01, कुल रकबा 2.4000 है0, कुल लगानी 12.0000पै0, खाता संख्या 488 खसरा संख्या 511 कुल किता 01, कुल रकबा 0.1100 है0, खाता संख्या 571 खसरा संख्या 496,503,504 कुल किता 03, कुल रकबा 0.6300 है0, भूमि प्रार्थी के नाम पर सहखातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा [illegible] पत्थरगढ़ी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। [illegible] मौका ट्रैस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। [illegible] रुपये प्रार्थी से वसूल किये जावे। प्रकरण दर्ज [illegible] रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya

Date: 2025.05.27 13:44:25 IST

Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 14.05.2025 को खुले न्या[illegible] के इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़

Scanned with OKEN Scanner